

12.09.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में
अधिवक्ता वादी एवं वादी के नाम से
अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज
दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।
इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादी
एवं स्वयं वादी अपने वाद को लेकर गंभीर
नहीं हैं।
लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व
'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर स्वारिज
फिया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर द्वाखिल दफतर
हो व नंबर से कम हो।


सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

